रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड ( ii )
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2000/फाल्गुन 5, 1921
No. 120 ] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2000/PHALGUNA 5, 1921

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2000

**का. आ. 168( अ ).**— पशुओं के अभिजनन और उनपर प्रयोग ( नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2000 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1) , (1क) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त समिति के विचारण के लिए उसे सदस्य सचिव, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कक्ष सं0 211, दूसरा तल, डी विंग, शास्त्री भवन, डा0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है ।

### प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम,2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 में : –

(1) नियम 2 के खंड (ङ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"प्रयोग से ऐसा कार्यक्रम/परियोजना अभिप्रेत है जिसमें जैविक ज्ञान की समुन्नति के प्रयोजन के लिए या ऐसी सूचना अभिलाभ के लिए जो जीवन की सुरक्षा या उसे दीर्घ बनाने के लिए या यातना न्यून करने या मनुष्यों या पशुओं को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम में अंशदान कर सकती है, पशु/पशुओं का प्रयोग अंतर्वलित है " ।

(2) नियम 5 के खंड (ग) में "समिति द्वारा इस बाबत सदस्य सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । समिति या इस संबंध में समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदन किए जाने के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण पर विनिश्चय करेगा । यदि रजिस्ट्रीकरण के पूर्व सुविधाओं का उपांतरण अपेक्षित हो तो समिति द्वारा आवश्यक ब्यौरों की संसूचना दी जाएगी ।"।

(3) नियम 6 में–

(क) खंड (क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन प्रयोगों के दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए वास्तव में प्रयोग किए गए पशुओं की बाबत विशिष्टियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें पशुओं की संख्या, जातियां, आयु और लिंग तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां भी होंगी ।" ।

(ख) विद्यमान खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : –

" समिति या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस प्रकार अनुरक्षित रजिस्टर की संस्थागत पशु सदाचार समिति और संस्था के प्रधान के परामर्श से परीक्षा करेगा और यदि उसका, सुधार के लिए दिए गए अवसरों के पश्चात् भी समाधान नहीं होता है तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इन नियमों के अधीन समुचित हो ।"

(4) नियम 7 के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

" (छ) पशु प्रयोग में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न जातियों के आवासन, पोषण और अनुरक्षण के लिए ब्यौरेवार विनिर्देश समिति द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत संगठनों द्वारा उनका अनुसरण किया जाएगा ।"

(5) नियम 9 में–

(क) खंड (क) में, " उनके पास उस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था की पशु विज्ञान या आयुर्विज्ञान अथवा प्रयोगशाला पशन विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा हो" शब्दों के स्थान पर " आयुर्विज्ञान / पशु विज्ञान में डिग्री धारक, औषधि निर्माण विज्ञान / जीव विज्ञान / किसी अन्य प्राकृतिक विज्ञान में डिप्लोमा और साथ में पशुओं पर प्रयोगों के निवारण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रयोगशाला पशु तकनीकों / विज्ञान में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र हो" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) विद्यमान खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (छ) प्रयोग से, विद्यालयों, महा विद्यालयों और समिति या संस्थागत पशु सदाचार समिति द्वारा रजिट्रीकृत स्थापनों में सम्यकतः संवीक्षित और अनुज्ञात कार्यक्रमों में केवल किसी मानविक कुशलता को प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।"

(ग) खंड (ञ) में " उरारी या कुरारी अथवा किसी ऐसे पैरेलिसन के नाम से ज्ञात पदार्थ को" शब्दों के स्थान पर, " किसी पक्षाघात कारक, जिसमें कुरारी भी है, को" शब्द रखे जाएंगे ।

(6) नियम 10 में–

(क) विद्यमान खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" कोई अभिजनक / स्थापन, किसी पशु को, किसी रजिस्ट्रीकृत अभिजनक/ स्थापन से विक्रय द्वारा या अन्यथा के सिवाय अर्जित नहीं करेगा, किंतु अभारतीय स्रोतों से आनुवंशिकतः परिभाषित विकृति के प्रयोगशाला अभिजनित प्रयोग पशुओं के अर्जन के मामले को छोड़कर जिसके लिए पशुओं पर प्रयोगों के निवारण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति द्वारा मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकृत अभिजनक / स्थापन, समिति या संस्थागत पशु सदाचार समिति से अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।"

(ख) खंड (ङ) में प्रारंभ में " आनुवंशिकतः परिभाषित के सिवाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(7) नियम 12 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" कोई स्थापन किसी अन्य स्थापन या अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्था की ओर से गैर-प्रयोगशाला अभिजनित पशुओं पर संविदा पर अनुसंधान या प्रयोग करने की संविदा, समिति की पूर्व अनुज्ञा के बिना, नहीं करेगा या उसका वचन नहीं देगा । किंतु यह शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक अनुसाधान को लागू नहीं होगा ।"

[सं. 7-5/98-ए.डब्ल्यु.डी.]

दिलीप सिंह, सदस्य सचिव
(पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण
और पर्यवेक्षण के लिए समिति)

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2000

S. O. 168(E).— The following draft of the Breeding of and Experiments on Animals(Control and Supervision) Amendment Rules, 2000, which the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1A) and (2) of section 17 of The Prevention of Cruelty to Animals Act,1960(59 of 1960), are hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the said Committee within a period so specified to the Member Secretary, Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, Ministry of Social Justice and Empowerment, Room No.211, 2nd Floor, 'D' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Marg, New Delhi-110 001.

**Draft Rules**

1 (1) These rules may be called the Breeding of and Experiments on Animals(Control and Supervision) Amendment Rules,2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Breeding of and Experiments on Animals(Control and Supervision) Rules,1998:-

(1) in rule 2, in clause(e), for the words and expression ".... experiments on an animal/animals for the purpose of advancement by new discovery of physiological knowledge which will be useful for", the words and expression, " use of an animal/animals for the purpose of advancement of biological knowledge or gain of information which may contribute to ...."; shall be substituted.

(2) in rule 5, in clause(c), for the words " the Member-Secretary of the Committee or any officer authorised in this regard by the Committee", the words ".... the Committee. The Committee or any officer authorised in this regard by the Committee shall take decisions on registration within three months of application. If modifications of facilities are required before registration, the details needed shall be communicated by the Committee.", shall be substituted.

(3) in rule 6,(a)in clause (a), for the words, for the words " as per the specified format and keep complete particulars about the kind of animal to be used for conducting any experiment, the health of the animal, the nature of the experiment to be performed and the reasons necessitating the performance of such an experiment on particular species.", the words "of particulars about the animals actually used from day to day for conducting experiments, with the number of animals, the species, the age and gender and other relevant particulars.", shall be substituted.

(b) for the existing clause(b), the following clause shall be substituted, namely:- "(b)The Committee or any other officer authorised by the Committee may examine the register so maintained in consultation with the Institutional Animal Ethics Committee and the Head of the establishment, and if he is not satisfied even after opportunities given for improvement, it may take such action as appropriate under these rules."

(4) in rule 7, after clause(f), the following clause shall be inserted, namely:- " (g) The detailed specifications for housing, feeding and maintenance of various species to be used in animal experimentation shall be published in the Official Gazette by the Committee, and upon publication, it shall be adhered to by registered organisations."

(5) In rule 9,--(a) in clause(a), for the words "Degree or Diploma holders in Veterinary Science or Medicine or Laboratory Animal Science of a University or an Institution recognised by the Government " ,the words, an expression" .... Degree holders in Medicine/Veterinary Science, Diploma in Pharmacy/Life Sciences/ any other Natural Sciences with a Diploma/Certificate in Laboratory Animal Techniques/Sciences from a recognised institution approved by CPCSEA" shall be substituted.

(b) for the existing clause (g), the following clause shall be substituted, namely: -" (g) the experiments shall not be performed for the sole purpose of attaining or retaining manual skill except in schools, colleges and programmes duly scrutinised and permitted in registered establishments by the Committee or the Institutional Animal Ethics Committee".

(c) in clause (j), for the words "the substance known as urari or curari or any such paralysan shall not be used", the words "no paralyzing agent, including curare, shall be used "shall be substituted.

(6) In rule 10,- (a) for the existing clause(b), the following clause shall be substituted, namely:- "A breeder/establishment should not acquire any animal by sale or otherwise except from a registered breeder/establishment, except in the case of acquisition of laboratory-bred experimental animals of genetically defined strains from non-Indian sources for which registered breeders/establishments shall apply for permission to the Committee or Institutional Animal Ethics Committee recognised by the CPCSEA."

(b) in clause (e) for the words "No animal shall be imported by a breeder", the words "No animal except genetically defined ones shall be imported by a breeder " shall be substituted.

(7) in rule 12, for the words " experiments on contract basis on behalf of any other establishment or research or educational institution ", the words " experiments on contract basis on non-laboratory bred animals on behalf of any other establishment or research or educational institution, except with prior permission of the Committee " shall be substituted.

[No. 7-5/98-AWD]

DILIP SINGH, Member Secy.
(Committee for the Purpose of Control and
Supervision of Experiments on Animals)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064